न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 251/2019

GCMS NO. : 2019/00224

–:: प्रार्थी ::– **बनाम** **–:: अप्रार्थीगण ::–**

1. राजूराम गौद पुत्र सोहनलाल जाति–बावरी, निवासी घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. मिश्रीलाल पुत्र किशनाराम
2. भीयाराम पुत्र गोकलराम
3. हीरालाल पुत्र गोपाराम
4. तेजाराम पुत्र मिश्रीलाल
5. ढगलाराम पुत्र हापुराम
6. जयराम पुत्र गोकलराम जातियान–बावरी निवासीगण–घोडावड तहसील जैतारण जिला–पाली।
7. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण तहसील –जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 04/12/2019

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 31/05/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली में सायल की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 210/585, खसरा नम्बर 230, खसरा नम्बर 231, खसरा नम्बर 232 कुल रकबा 236 बीघा 11 बिस्वा आई हुई है। माफिक हिस्सेनुसार सायल उक्त भूमि पर काबिज कास्त है। सायल सोहनलाल पुत्र हजारी के गोद गया हुआ है व उनकी मृत्यु के बाद उनके हिस्से पर काबिज काश्त है व उनका आपसी बंटवाडा हो रखा है व बंटवाडे के हिस्सेनुसार सायल बिना किसी रोकटोक के काश्त करता आ रहा है लेकिन गैरसायलान जो कि सायल से रंजिश रखते है व इनके कब्जे काश्त की हिस्से की कृषि भूमि पर लगातार दखलन्दाजी करते आ रहे है व आए दिन लडाई झगडा कर रहे है। गैरसायलान [illegible] कृषि भूमि पर तो गेहू की फसल बो दी है व सायल को गेहू की फसल बोने [illegible] रहे है व दिनांक 21/11/2019 को गैरसायलान एक राय होकर [illegible] सायल के [illegible] मारपीट की व खेत नही बोने दिया जिसकी रिपोर्ट सायल ने थाने [illegible] बाद भी लगात[illegible]यल को फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बोने नही दे रहे है व दिनांक 21/11/2019 को ऐलानिया धमकी दी कि हम तुझे भूमि से बेदखल कर देंगे, गेहू की फसल नही बोने देगे व जान से मार देंगे। यदि गैरसायलान अपने गैरकानूनी ईरादो में कामयाब हो जाते है तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिए उक्त प्रार्थन बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात से एवं सायल का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे है यदि गैरसायलान् सायल को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है एवं उसको गेहू की फसल नही बोने देते हैं सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी। इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी में सायल का 3/24 वें हक हिस्से मे कब्जा काश्त है मौके पर मौखिक बंटवाडा हो रखा है अपने हिस्से की भूमि मे गेहूं की फसल बोए व अपने स्वेच्छा अनुसार काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमे गैरसायलान उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल अधिवक्ता द्वारा नोटेड करने के बाद भी लगभग 2 वर्ष तक जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं करने से गैरसायल संख्या 1 से 6 का जवाब प्रार्थना-पत्र बन्द किया गया। गैरसायल संख्या 7 फॉर्मल पक्षकार है जिनसे जवाब अपेक्षित नहीं है।

बहस वकील उभयपक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली मय भू-अभिलेखीय दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या खसरा नम्बर 210/585, 230, 231, 232 रकबा 236 बीघा 11 बिस्वा संयुक्त अविभाजित सह-खातेदारी भूमि है। प्रार्थी के वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं को तथाकथित फौत खातेदार सोहनलाल पुत्र हजारी का गोदपुत्र बताते हुए उक्त आराजी में स्वयं के हक-अधिकार होने के कथन किये है तथा वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। जबकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार नहीं है व न ही प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना-पत्र में किये गये कथनों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत किया है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में वादपत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि किस प्रकार सम्पूर्ण आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

जबकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया कि खातेदार सोहनलाल पुत्र हजारी के हिस्से पर वह काबिज काश्त है परन्तु उक्त कथन के सर्मथन में कोई विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हो। जबकि अप्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार दर्ज है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता ह। साथ ही यदि खातेदार के विरूद्ध बिना किसी ठोस आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उसे अधिक असुविधा होगी। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** पूर्व विवेचित दोनो बिंदू प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। प्रार्थी द्वारा केवल कथन मात्र किये है जबकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सह–खातेदारान है तथा जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये सह–खातेदारान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से वंचित रहना पड़ेगा जिससे अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:06 IST
Reason: SelfAttested